Defence Personnel	-	8%
Paramilitary/Police/ Govt. Personnel	-	8%
Outstanding Sportspersons	-	3%
Open Category	-	50%

OBCs

Except for SC/ST, 27% in all other categories will be reserved for OBC.

Women

33% of the dealerships in all categories mentioned above will be reserved for Women belonging to that category.

(4) The maximum age limit for 'open' and 'SC/ST' category candidates will be 35 years and for candidates of Defence (DC), Pysically Handicapped (PH), Para-military/Police/ Government Personnel (PMP) and Outstanding Sportpersons (OSP) will be 45 years.

(5) All the dealerships will be given on partnership basis only. The number of partners will be three from the same specified category.

(6) SKO would be sold at normal non-subsidised rates and it would be sold freely to the public for domestic consumption without any ration card or permit.

(7) The retail selling price of kerosene sold under the Scheme will be at cost price plus normal reasonable margin without adding undue overhead costs.

(8) The dealer commission may be fixed at Rs. 0.50 per litre, to enable the dealer to meet is costs and earn a reasonable income.

Corrupt Public Servant (Forfeiture of Properties) Act

*327. SHRI K.M. SAIFULLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Law Commission as prepared a draft of Corrupt Public Servant (Forfeiture of Properties) act; and

(b) if so, the steps taken to introduce and pass it immediately?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN): (a) and (b) Yes, Sir. The Law Commission has circulated a draft seeking the views of various political parties, legislators, Bar Council of India and others. As the Law Commission is yet to finalise its Report and furnish the same to the Government, the question of taking steps to introduce and pass the said legislation does not arise at present.

Damage to Roads by ONGC in Andhra Pradesh

*328. SHRI C. RAMACHANDRAIAH: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether ONGC as assured that all roads damaged by its activity in Andhra Pradesh would be repaired totally;

(b) if so, the amount spent by ONGC on this commitment in 1997-98;

(c) whether it is a fact that ONGC uses heavy equipment without proper care; and

(d) the setps proposed to repay the Andhra Pradesh Government fully on this count?

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (SHRI K. RAMAMURTHY): (a) and (b) No, Sir, No damage to roads has been caused due to the activitires of ONGC in Andhra Pradesh. However, ONGC as been assisting the Government of Andhra Pradesh in the construction, repair and strengthening of a number of roads, bridges and culverts in various districts of the state as a part of its participation in the socio-economic development activities in its areas of operation.

(c) No, Sir, ONGC takes due care while using heavy equipments required for its operations.

(d) Does not arise.

फलों और खाद्य पदार्थों आदि में हानिकारक तत्व

*329. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उर्वरकों एवं पौध रक्षक दवाओं के निरन्तर बढ़ते उपयोग के कारण फलों, अनाजों एवं अन्य भोजन सामग्री में बढ़ रहे हानिकारक तत्वों का विवरण क्या है,

(ख) इसको रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(ग) इस पर नियंत्रण एवं संतुलन कायम करने के लिए की जा रही कार्रवाई में प्राप्त सफलता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सोम पाल): (क) से (ग) महोदय, उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के कारण फलों अनाजों तथा अन्य खाद्य पदार्थों में हानिकारक तत्वों का कोई समावेश नहीं है। देश में उर्वरकों की खपत का वर्तमान स्तर पर लगभग 87 कि॰ ग्रा॰ पौषक तत्व प्रति हेक्टेयर है जो अन्य पड़ौसी देशों जैसे बंगला देश (135 कि॰ ग्रा॰ प्रति है॰) चीन (370 कि॰ ग्रा॰ प्रति है॰), कोरिया (375 कि॰ ग्रा॰ प्रति है॰) तथा पाकिस्तान (113 कि॰ ग्रा॰ प्रति है॰) की तुलना में काफी कम माना जाता है।

जब अच्छी कृषि विधियों के अनुसार कृमिनाशी दवाइयों का प्रयोग किया जाता है तो तैयार फसल में वे कुछ अवशेष के रूप में रह सकती हैं जो सामान्यतः खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के तहत निर्धारित सह्य स्तरों (अधिकतम अवशेष सीमा) के भीतर होती हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा देश के विभिन्न भागों में समय-समय पर कराए गए सीमित अध्ययनों से पता चला है कि चावल, अनाजों, फलों और सब्जियों जैसे अधिकतर खाद्य पदार्थों में कृमिनाशी दवाओं के अवशेष अधिकतम निर्धारित सह्य सीमाओं के भीतर थे। लेकिन, विशेष रूप से तेज असर वाली कृमिनाशी दवाओं के अत्यधिक उपयोग, दुरुपयोग और अनुचित प्रयोग के कारण कभी-कभी तैयार फसल में इनके अवशेषों की मात्रा अधिक रह जाती है।

सरकार द्वारा किए गए निवारक उपाय इस प्रकार हैं:-

(1) कृमिनाशी दवा अधिनियम, 1968 के अंतर्गत गठित पंजीकरण समिति विभिन्न फसलों पर कृमिनाशी दवाओं के उपयोग का अनुमोदन करते समय मात्राएं और प्रतीक्षा अवधि निर्धारित करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कृमिनाशी दवाओं के अवशेष खाद्य *अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954* के अधीन निर्धारित सह्य सीमाओं से अधिक न हों।

(2) ऐसे तेज असर वाली तथा विषाक्त ऐसी कृमिनाशी दवाओं के प्रयोग पर रोक या प्रतिबंध लगाया गया है जिनके अत्यधिक अवशेष रह जाने की सम्भावना हो।

(3) कृमिनाशी दवाओं के सुरक्षित उपयोग के लिए अच्छी कृषि विधियों की सिफारिश की गई ताकि अवशेषों को अत्यधिक कम किया या हटाया जा सके।

(4) सरकार कृमियों और रोगों के नियंत्रण के लिए समेकित कृमि प्रबन्ध की नीति को बढ़ावा दे रही है जिसमें कृत्रिम कृमिनाशी दवाओं का उपयोग न्यूनतम है तथा नीम परभक्षियों, परजीवियों आदि सहित जैविक कृमिनाशियों का उपयोग संस्तुत किया जाता है।

(5) देश भर में समेकित कृमि प्रबन्ध अपनाने हेतु किसानों और विस्तार कर्मियों के लिए एक बृहत शैक्षिक और प्रशिक्षण कार्यक्रम आरम्भ किया गया है।

(6) जैव-उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(7) किसानों और आम जनता को जानकारी देने के लिए समेकित कृमि प्रबन्ध पर आकाशवाणी, मुद्रित और इलैक्ट्रानिक प्रचार माध्यमों के जरिये प्रचार।

(8) उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985, कृमिनाशी दवा अधिनियम, 1968 तथा खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 को लागू किया गया है ताकि क्रमशः उर्वरकों और कृमिनाशी दवाओं की गुणवत्ता की जांच की जा सके तथा खाद्य पदार्थों में कृमिनाशी दवाओं के अवशेषों की मानिटरिंग की जा सके।

ऐसे उपायों के परिणामस्वरूप कृमिनाशी दवाओं की खपत 1993-94 के 63,651 मीटरी टन (तकनीकी ग्रेड) से कम होकर 1997-98 में 48,784 मीटरी टन (तकनीकी ग्रेड) रह गई है।

Protection of domestic Edible Oil Sector

*330. SHRI NARENDRA MOHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government have formulated any policy to support the Indian market from large scale dumping of imported oil which in effect has hampered the development of the domestic oil seed cultivation and exploitation of non traditional sources;